सिफारिशों का सार

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की है कि:

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अपने डेटाबेस में पैन की सीडिंग की शुरुआत करने और सूचनाओं के संरचित और संस्थागत आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों को नियंत्रित करने वाले केंद्रीय और राज्य स्तरीय पंजीकरण निकायों और नियामक प्राधिकरणों से अनुरोध करने पर विचार कर सकता है। निर्धारिती की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का पता लगाने और निगरानी करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार की जा सकती है।*

  (पैराग्राफ 2.1.1)

- *कर अपवंचन का पता लगाने के लिए नॉन-फाइलर्स/स्टॉप-फाइलर्स के प्रति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू की जाए। सर्वेक्षण का उपयोग उन सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों की पहचान करने के लिए किया जाए जो अभी भी कर के दायरे से बाहर हैं और उन्हें कर के दायरे में लाया जाए।*

  (पैराग्राफ 2.2.1, 2.2.2)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह सुनिश्चित कर सकता है कि आयकर विभाग सहकारी समितियों को पैन आवंटित करते समय किए गए अपने नाम और गतिविधि की तुलना में आवेदक की वास्तविक स्थिति की जांच करे। निर्धारितियों द्वारा प्राप्त छूटों की आसानी से पहचान और निगरानी करने के लिए, आयकर विभाग सहकारी समिति के पैन के साथ चौथे अक्षर के रूप में 'ए' को जोड़ने पर विचार कर सकता है। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि निर्धारितियों की स्थिति में परिवर्तन की पर्याप्त जांच की जाए।*

  (पैराग्राफ 2.3, 3.1)

- *रजिस्ट्रार द्वारा सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के पंजीकरण के प्रमाण पत्र और सदस्यों के विवरण का प्रत्यक्ष प्रमाण निर्धारण पूरा करने के लिए आवश्यक है। आयकर विभाग निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है और साथ ही आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है।*

  (पैराग्राफ 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निर्धारण अधिकारियों को यह अनुदेश दे कि वे सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के खातों को तभी स्वीकार करें जब उनकी लेखापरीक्षा पैनल में शामिल लेखापरीक्षकों द्वारा की गई हो। इसके अलावा, इस नियामकीय आवश्यकता का अनुपालन न करने के मामलों की सूचना संबंधित नियामक प्राधिकरणों (सहकारी समिति पंजीयक, भारतीय रिजर्व बैंक आदि) को दी जाए।*

  (पैराग्राफ 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सिस्टम में कमजोरियों को खत्म करने के उद्देश्य से निर्धारण अभिलेखों के अनुसार डेटा तथा आयकर विभाग के बीच बेमेलता के होने के कारणों की जांच करें। आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए।*

  (पैराग्राफ 2.4)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड उन मामलों में शुरू की गई कार्रवाई की जांच करें जहां सहकारी क्षेत्र में निर्धारितियों द्वारा गलत आईटीआर फॉर्म दायर किए गए थे और यह सुनिश्चित करें कि सीपीसी बेंगलुरु में आईटीआर प्रसंस्करण चरण में ऐसे रिटर्न को अमान्य के रूप से व्यवहारित किया जाए। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के रूप में अनुमेय कटौती के दावे, यदि कोई हो, तो उसे अस्वीकृत किया जाए।*

  (पैराग्राफ 2.5.2)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सहकारी समितियों के संवीक्षा निर्धारणों के दौरान पारस्परिकता के सिद्धांतों की जाँच के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार कर सकता है। यह सहकारी समिति के निर्धारण के लिए नियमित सदस्यों के रूप में असमान अधिकारों के साथ जुड़े हुए तथा नाम-मात्र और सहयोगी सस्दयों के पंजीकरण की प्रक्रिया को संबोधित करने के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाने पर विचार कर सकता है जो पारस्परिकता के सिद्धांत को विफल करता है।*

  (पैराग्राफ 3.2.3)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय की जांच करते समय भी सहकारी समिति द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति की प्रभावी निगरानी के*

लिए एक तंत्र तैयार कर सकता है जिस पर सहकारी समितियों/बैंको द्वारा कटौती दावा किया जा रहा है ताकि पात्र निर्धारितियों के दावे की अनुमति को सुनिश्चित किया जा सके।

(पैराग्राफ 3.8)

- *दावों की प्रभावी निगरानी, अपात्र दावों की संभावना कम करने के लिए तथा केवल पात्र निर्धारितियों को कटौती की अनुमति सुनिश्चित करने के लिए निर्धारिती के गतिविधि कोड तथा स्टेटस कोड को अधिनियम की उपधाराओं 80पी तथा 36(1) के साथ जोड़ा जा सकता है जिसके अंतर्गत आयकर रिटर्न फाइल करने के चरण पर कटौती का दावा किया जाता है। निर्धारण के दौरान जिन मामलों में अयोग्य गतिविधियों में लगे निर्धारितियों द्वारा दावा की गई कटौती को अस्वीकार कर दिया गया था, उनका उपयोग अनुवर्ती वर्षों में संवीक्षा के लिए चयन में प्राथमिकता प्रदान करने के लिए गतिविधियों, क्षेत्र और निर्धारितियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। इसकी सूचना संबंधित नियामक प्राधिकरणों (भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी समिति पंजीयक आदि) को भी दी जाए।*

(पैराग्राफ 3.10)

- *अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत की गई कटौती के वास्तविक दावे को कटौती के प्रभाव के निर्धारण, बेहतर प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस), बेहतर निगरानी के लिए आईटीआर फार्म की प्रासंगिक अनुसूची में ग्रामीण अग्रिम तथा कुल आय पर कटौती के अलग आंकड़ों/विवरणों के साथ दर्ज़ किया जा सकता है क्योंकि मौजूदा प्रारूप में वास्तविक दावे को दर्ज़ नहीं किया जा रहा है।*

(पैराग्राफ 3.11.2)

- *अधिनियम के अंतर्गत धाराओं तथा निर्धारितियों के वर्गों, जहाँ दावों की अनियमित अनुमति की संभावना अधिक थी, की पहचान तथा निगरानी की जानी चहिए। आयकर विभाग कटौतियों की अनियमित अनुमति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निर्धारण अधिकारियों के उपायो के लिए उसकी रूपरेखा की एक जाँच सूची तैयार कर सकता है।*

(पैराग्राफ 3.1 से 3.7)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड समान स्थितियों में समान कानून को लागू करने में व्यापक भिन्नताओं के कारणों की जाँच कर सकता है तथा यदि आवश्यक हो तो, सहकारी क्षेत्र में समान गतिविधियों में लगे हुए निर्धारितियों के समान वर्ग के निर्धारण में एकरूपता तथा अनुरूपता को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नियामक निकायों के अनुसार सहकारी बैंकों की संरचना के तहत वर्गीकरण के अनुसार ऐसे निर्धारितियों के निर्धारण को संरेखित करने के लिए नियामक निकायों के साथ समन्वय भी कर सकता है। निर्धारण प्रक्रिया के दौरान देखे गए सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवसाय में संलग्न अपात्र निर्धारितियों को स्वीकार्य कटौती का दावा करने वाले अयोग्य निर्धारण के मामलों की सूचना नियामक प्राधिकरणों (भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी समिति पंजीयक आदि) को दी जाए।*

(पैराग्राफ 3.9)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए कि कटौती की अनुमति केंद्रीय और राज्य स्तर पर चीनी के मूल्य निर्धारण के संबंध में सरकारी नीतियों के अनुसार हो, धारा 36(1)(xvii) के तहत चीनी विनिर्माण सहकारी समितियों द्वारा किए गए दावों के निर्धारण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर सकता है।*

(पैराग्राफ 3.13)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड त्रुटियों के कारणों का पता लगाने के लिए आय, कर, ब्याज आदि की संगणना में त्रुटियों और अनियमितताओं से जुड़े निर्धारणों को पुनरीक्षण कर सकता है और परिहार्य त्रुटियों की संभावना को समाप्त करने और निर्धारण अधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत आईटी प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तंत्र रख सकते है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए एक गुणवत्ता पूर्ण आश्वासन तंत्र पेश कर सकता है कि कर की गणना में त्रुटियां कम से कम की जाए।*

(पैराग्राफ 4.2 से 4.10)

- *अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों होने के बावजूद अस्वीकार्य दावों और व्यय की मदों और कटौतियों की अनियमित अनुमति के कारणों की केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा समीक्षा की जा सकती है। आयकर विभाग अनियमित अनुमति की उच्च प्रवृत्ति के साथ व्ययों और कटौतियों की मदों की पहचान कर सकता है और निर्धारण अधिकारियों द्वारा अनियमित अनुमति की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपयोग के लिए एक जांच बिंदु की रूपरेखा तैयार कर सकता है।*

(पैराग्राफ 4.4)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह पता लगा सकता है कि क्या त्रुटियां/अनियमितताएं भूल वश हुई गलतियां है और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। आयकर विभाग त्रुटियों और अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय कर सकता है।*

(पैराग्राफ 4.2 से 4.10)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह सुनिश्चित कर सकता है कि आयकर विभाग को दावों और भुगतानों में अन्तर का निपटान करने के लिए सक्रिय रूप से सीपीसी बैंगलुरू के माध्यम से दावों के मिलान पर ध्यान केद्रिंत करना चाहिए और उसी के गैर-मिलान की संभावनाओं से बचने के लिए साधन विकसित करने चाहिए।*

(पैराग्राफ 4.12)

- *केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति के अनुसार कटौती के दावों की प्रभावी निगरानी के लिए निर्धारण के दौरान अभिनिश्चित किए गए कारोबार या गतिविधि की प्रकृति के अनुसार कोड को निर्दिष्ट/अद्यतन करने पर विचार कर सकता है।*

(पैराग्राफ 4.11)

- *आईटीआर-5 में एक सहकारी समिति के सभी सदस्यों की सूची उनके पैन के साथ पिछले वर्ष की रिटर्न दाखिल करने के निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक हो सकती है सहकारी समितियों द्वारा एक सीमा राशि से ऊपर प्राप्त की गयी जमा राशि के लिए पैन का उद्धरण अनिवार्य किया जा सकता है। इसके अलावा, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रसंभाव्य वित्तीय अनियमितताओं की निगरानी को सरल बनाने के लिए विनियामक प्राधिकरणों (भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी समिति पंजीयक*

आदि) को अस्पष्टीकृत नकदी साख की महत्वपूर्ण मात्रा वाले उदाहरणों की रिपोर्टिंग करने पर विचार कर सकता है।

(पैराग्राफ 4.9)

लेखापरीक्षा के अवलोकन तथा सिफारिशों के लिए आयकर विभाग की प्रतिक्रिया की लेखापरीक्षा की आगामी टिप्पणियों के साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में चर्चा की गई है।